

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय संख्या-2,
लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-वेवसिटी सेक्टर-6, गाज़ियाबाद में अपनी पत्नी श्रीमती सुमन तिवारी के नाम प्लाट क्रय किये जाने के पश्चात् सूचना एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुमन तिवारी के नाम एक आवासीय प्लाट संख्या-435, क्षेत्रफल-162 स्क्वायर मीटर स्थित सेक्टर-6, वेवसिटी, गाज़ियाबाद में रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के माध्यम से दिनांक 20-11-2019 को क्रय किया। उक्त प्लाट की विक्रेता कम्पनी मैसर्स उप्पल चढढा, हाईटेक डेवलपर्स, प्राईवेट लिमिटेड एक पंजीकृत रियल स्टेट कम्पनी है, जिसका ब्रॉण्ड नाम "वेवसिटी" है उक्त प्लाट की कुल कीमत मय स्टॉम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि मिलाकर रूपया **36,43,283.55 (मात्र रूपया छत्तीस लाख तैंतालिस हज़ार दो सौ तेरासी रूपया पचपन पैसा)** है।

उपरोक्त धनराशि में से क्रमशः रूपया 15,00,000/- दिनांक 12-10-2019 को मेरे ऋण खाता संख्या-38736573258, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजनगर से ऋण लेकर अदा किया गया तथा रूपया 51,005.75/- ज़रिये आर0टी0जी0एस0 नम्बर **SBIN51715008267**, दिनांक 30-05-2017 के द्वारा अदा किया गया है एवं रूपया 8,00,000/- दिनांक 27-06-2017 को मेरे बचत खाता संख्या-32336258894, शाखा-राजनगर, गाज़ियाबाद से ज़रिये चेक संख्या-290628, अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपया 2,14,323.60 दिनांक 23-10-2019 को मेरे बचत खाता संख्या-30108579388 से आर0टी0जी0एस0 नम्बर **SBINR52019102300056476** एवं रूपया 10,40,254.20 दिनांक 23-10-2019 को मेरे बचत खाता संख्या-30108579388 से ज़रिये आर0टी0जी0एस0 **SBINR520719102300057705** से अदा किया गया है तथा रूपया 20,000/-रजिस्ट्रेशन शुल्क नगद अदा किया गया है तथा रूपया 17,700/- मेरे बचत खाता संख्या 30108579388 से दिनांक 06-11-2019 चेक संख्या-294044 के माध्यम से भुगतान किया गया। उक्त प्लाट क्रय किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रपत्र मय रजिस्ट्री एवं भुगतान किये गये प्रतिफल से सम्बन्धित बैंक विवरण आपकी सेवा में सादर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 13-01-2020

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय संख्या-2, लखनऊ।
ID N0-6282

From,

August Kumar Tiwari,
Additional Principal Judge,
Family Court N0-2
Lucknow.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Through,

Hon'ble District Judge,
Lucknow.

Subject- Information required under CL. No. 25/Admin (A) Dated 13, 1998 and
Section-24 of Govt. Servant Conduct Rules regarding permission to purchase
immovable property.

Respected Sir,

With reference to above mentioned subject I have the honour to inform the Hon'ble
Court that I have purchased a Plot bearing No-435. Which required details are given under the
mentioned above circular and rules are as follows.

- 1- Date of Joining Service - 15-06-2006
- 2- Present Gross Salary - 1,60,023/-
Take Home net Salary - 1,25,689/-
- 3- Details of purchasing property - Plot No-435, Sector-6,
Wavecity Ghaziabad.
(Measurement 162 Square Meter)
- 4- If any advance or loan taken from the High Court, its amount in what manner the loan
will be repaid namely the number of installment, loan amount, till the date of deduction
will be made. - **N.A**
- 5- If any loan taken from bank, details of amount, mode of payment, period of deduction
number & amount of installment.
Rs. 15,00,000/- State Bank of India, R.A.C.P.C., Ghaziabad, Monthly installment, 10
years (approximately 120 months) Installment amount Rs 18,800 /Month.
Attached as annexure-A
- 6- Regarding purchase of second hand car, name of vehicle, its model cost price etc., date
of first purchase month & year of vehicle from car dealer to first purchase and copy of
insurance policy showing amount from which the vehicle was insured prior its
purchase by officer. - **N.A**
- 7- Detail of property (Area of an or Flat then its size.) - Plot No-435, Sector-6,
Wavecity Ghaziabad.
(Measurement 162 Square Meter)
- 8- Name & Full address of seller - Wavecity Ghaziabad.

- 9- Whether the dealer is regular or - Purchaser is a regular and registered Housing Society.
- 10- Whether the Judicial Officer is related to the seller in any way & whether any case against the seller is pending in or decided by the Judicial Officer.
No I am not related to the seller in any way and no case of seller is pending in my court or decided by my court so far.
- 11- Details of source of amount paper in support thereof.
Total consideration price/cost of Plot No-435, Sector-6 Wavecity, Ghaziabad is Rs**36,43,283.55/-** (Measurement 162 Square Meter).

N.B

The complete details of amount of above plot are given below:

- 1- Home Loan Rs. 15,00,000/- taken from my SBI A/c No. 387836573258 R.A.C.P.C., Ghaziabad Branch dated 12-10-2019 **{Attached as annexure-A (Page No 1-4)}**
- 2- Rs, 51,005.75/- from my SBI A/c No 30108579388 through RTGS No. SBIN517105008267, dated 30-05-2017. **{Attached as annexure-B (Page No 1-2)}**
- 3- Rs. 8,00,000/- from my SBI A/c No-32336258894 Branch Raj Nagar, Ghaziabad through Cheque No-290628, dated 27-06-2017. **{Attached as annexure-C (Page No 1-2)}**
- 4- Rs. 2,14,323.60/- from my SBI A/c Number 30108579388 through RTGS No. **SBINR52019102300056476** dated 23-10-2019 . **{Attached as annexure-D (Page No 1-2)}**
- 5- Rs. 10,40,254.20/- from my SBI A/c No-30108579388 through RTGS No. **SBINR520719102300057705** dated 23-10-2019 . **{Attached as annexure-E (Page No 1-2)}**
- 6- Rs. 20,000/- is given as in cash mode for Rajestration fees.
- 7- Rs. 17700/- for other charges through Cheque No-294044 from my SBI A/c No.30108579388 **{Attached as annexure-F (Page No 1-2)}**
- 8- Photostat copy of Agreement. **{Attached as annexure-G (Page No 1-34)}**

Your's Faithfully,

Dated 14-01-2020

(August Kumar Tiwari)
Additional Principal Judge/
Family Court No-2, Lucknow.
ID N0-6282

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 12-12-2018 को अपना मकान संख्या-60 B/2C/135, जो जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद में स्थित है, के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। जिसमें क्रेता का नाम त्रुटिवश रतन लाल अंकित हो गया था, जबकि क्रेता का वास्तविक नाम रतन कुमार (श्रीवास्तव) है।

माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 12-12-2018 को प्रेषित पत्र में क्रेता का नाम रतन लाल के स्थान पर क्रेता का नाम रतन कुमार (श्रीवास्तव) ही पढ़ा जाय।

अतः प्रार्थी को अपने उक्त मकान के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 25-05-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019 के परिप्रेक्ष्य में प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने के पश्चात् माननीय महोदय द्वारा माँगी गयी वाँछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 12-12-2018 को प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी, जो जनपद लखनऊ में स्थित है, के क्रय करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक **2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019** द्वारा मुझे अपना उपरोक्त प्लॉट को क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात् मेरे द्वारा उपरोक्त प्लॉट दिनांक 07-03-2019 को रूपया 35,40,000/- (रूपया पैंतीस लाख चालीस हजार) में (मय रजिस्ट्रेशन) क्रय किया गया और उक्त प्लॉट क्रय किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रपत्र मय रजिस्ट्री एवं भुगतान किये गये प्रतिफल से सम्बन्धित बैंक विवरण आपकी सेवा में सादर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 10-05-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
लखनऊ।
ID N0-6282

संलग्नक

- 1- प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने से सम्बन्धित रजिस्टर्ड विलेख की छायाप्रति।
- 2- क्रेता द्वारा अदा किये गये प्रतिफल राशि जो विक्रेता को रूपया 5,00,000/- का चेक नम्बर 294014 एवं आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नम्बर SBINR 52019030700066722 भारतीय स्टेट बैंक, हजरतगंज, लखनऊ के मेरे खाता संख्या-30108579388 से अन्तरित की गयी है, से सम्बन्धित बैंक

स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019 के परिप्रेक्ष्य में प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने के पश्चात् माननीय महोदय द्वारा माँगी गयी वॉछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 12-12-2018 को प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी, जो जनपद लखनऊ में स्थित है, के क्रय करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक **2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019** द्वारा मुझे अपना उपरोक्त प्लॉट को क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात मेरे द्वारा उपरोक्त प्लॉट दिनांक 07-03-2019 को रूपया 35,40,000/- (रूपया पैंतीस लाख चालीस हजार) में (मय रजिस्ट्रेशन) क्रय किया गया और उक्त प्लॉट क्रय किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रपत्र मय रजिस्ट्री एवं भुगतान किये गये प्रतिफल से सम्बन्धित बैंक विवरण आपकी सेवा में सादर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 07-05-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
लखनऊ।
ID N0-6282

संलग्नक

- 1- प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने से सम्बन्धित रजिस्टर्ड विलेख की छायाप्रति।
- 2- क्रेता द्वारा अदा किये गये प्रतिफल राशि जो विक्रेता को रूपया 5,00,000/- का चेक नम्बर 294014 एवं आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नम्बर SBINR 52019030700066722 भारतीय स्टेट बैंक, हजरतगंज, लखनऊ के मेरे खाता संख्या-30108579388 से अन्तरित की गयी है, से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।

From,
August Kumar Tiwari,
Addl. District & Session Judge
Court N0-12,
Lucknow.

To,
The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Through,
Hon'ble District Judge,
Lucknow.

Subject- Information required under CL. No. 25/Admin(A) Dated 13, 1998 and Section-24 of Govt. Servant Conduct Rules regarding permission to purchase immovable property.

Respected Sir,

With reference to above mentioned subject I have the honour to inform the Hon'ble Court that I have purchased a Plot bearing No-435. Which required details are given under the mentioned above circular and rules are as follows.

- 1- Date of Joining Service - 15-06-2006
- 2- Present Gross Salary - 1,48,149/-
Take Home Salary - 1,14,973/-
- 3- Details of purchasing property - Plot No-435, Sector-6,
Wavecity Ghaziabad.
(Measurement 162 Square Meter)
- 4- If any advance or loan taken from the High Court, its amount in what manner the loan will be repaid namely the number of installment, loan amount, till the date of deduction will be made. - N.A
- 5- If any loan taken from bank, details of amount, mode of payment, period of deduction payment, period of deduction number & amount of installment. - Rs. 15,00,000/- State Bank of India, R.A.C.P.C., Ghaziabad, Monthly installment, 10 years (approximately 120 months) Installment amount Rs 18,800/- Per Month.
- 6- Regarding purchase of second hand car, name of vehicle, its model cost price etc., date of first purchase month & year of vehicle from car dealer to first purchase and copy of insurance policy showing amount from which the vehicle was insured prior its purchase by officer. - N.A

- 7- Detail of property (Area of an or Flat then its size.) - Plot No-435, Sector-6, Wavecity Ghaziabad. (Measurement 162 Square Meter)
- 8- Name & Full address of seller - Wavecity Ghaziabad.
- 9- Whether the dealer is regular or - Purchaser is a regular and registered Housing Society.
- 10- Whether the Judicial Officer is related to the seller in any way & whether any case against the seller is pending in or decided by the Judicial Officer. - No I am not related to the seller in any way and no case of seller is pending in my court or decided by my court so far.
- 11- Details of source of amount paper in support thereof. - Total consideration price/cost of Plot No-435, Sector-6 Wavecity, Ghaziabad is Rs 36,17,700/- (Measurement 162 Square Meter)

N.B

The complete details of amount of above plot are given below.

1- Loan Rs. 15,00,000/- from State Bank of India, R.A.C.P.C., Ghaziabad,

2- Rs. 8,00,000/- from my SBI A/c No-32336258894 Branch Raj Nagar, Ghaziabad through Cheque No-290628.

3- Rs. 17,700/- from my SBI A/c No- through Cheque Number- 294044, Dated 15-10-2019

4- Rs, 51,000/- through RTGS No SBIN 517150, Dated 30-05-2017.

5- Rs, 10,40,207/- from my SBI A/c No- through RTGS No SBIN 517150, Dated 30-05-2017.

6- Rs. 2,40,000/- from my SBI A/c No- through RTGS Number SBIN 517150, Dated 30-05-2017.

Your's Faithfully,

Dated -01-2020

(August Kumar Tiwari)
Additional Principal Judge/
Family Court No-2, Lucknow.
ID N0-6282

Annexure

1- Copy of agreement,

2-Photocopy of Cheque No-110883,
State Bank of India Dated 06-12-2018.

From,

August Kumar Tiwari,
Addl. District & Session Judge/
Fast Track Court-1,
Lucknow.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Through,

Hon'ble District Judge,
Lucknow.

Subject- Information required under CL. No. 25/Admin(A) Dated 13, 1998 and Section-24 of Govt. Servant Conduct Rules regarding permission to sell immovable property.

Respected Sir,

With reference to above mentioned subject I have the honour to inform the Hon'ble Court that I want to sell a house. Details required are given under the mentioned above circular and rules are as follows.

- | | | |
|----|---|--|
| 1- | Date of Joining Service | - 15-06-2006 |
| 2- | Present Gross Salary | - 1,48,149/- |
| | Take Home Salary | - 1,14,973/- |
| 3- | Details of selling property | - House No-60B/2C/135 Jondhwal
Telairganj, Allahabad. |
| 4- | If any advance or loan taken from the High Court, its amount in what manner the loan will be repaid namely the number of installment, loan amount, till the date of deduction will be made. | - N.A |
| 5- | If any loan taken from bank, | - N.A |

details of amount, mode of payment, period of deduction number & amount of installment.

- 6- Regarding purchase of second hand car, name of vehicle, its model cost price etc., date of first purchase month & year of vehicle from car dealer to first purchase and copy of insurance policy showing amount from which the vehicle was insured prior its purchase by officer. - N.A

-2-

- 7- Detail of property (Area of an or Flat then its size.) - House No-60B/2C/135 Jondhwal Telairganj, Allahabad. (Measurement 02 BISWA i.e., 272 Sq.Yard approximately)
- 8- Name & Full address of purchaser - Shri Ratan Kumar S/o Shri Lallan Prasad Srivastava, House N0-60C/1C/136 Jondhwal Telairganj, Allahabad.
- 9- Whether the dealer is regular or Bank Employee) but not a regular dealer. - Purchaser is a reputed (Retired reputed one.
- 10- Whether the Judicial Officer is related to the purchaser in any way & whether any case against the purchaser is pending in or decided by the Judicial Officer. - No I am not related to the purchaser in any way and no case of purchaser is pending in my court or decided by my court so far.
- 11- Details of source of amount paper in support thereof. - Total consideration price/cost of H. No-60B/2C/135 Jondhwal Telairganj, Allahabad is 57,00,000/- (Measurement 02 BISWA i.e., 272 Sq.Yard approximately)

N.B In this regard I have received Rs. 1,00,00/- (Rs. One lac) from purchaser in advanced through Cheque No-110883, State Bank of India Dated 06-12-2018

Your's Faithfully,

Dated -12-2018

(August Kumar Tiwari),
Addl. District & Session Judge/
Fast Track Court-1, Lucknow.
ID N0-6282

Annexure

1-Copy of agreement,
2-Photocopy of Cheque No-110883,
State Bank of India Dated 06-12-2018.

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-मेरे द्वारा पूर्व में अपने निजी आवास संख्या-60 B/2C/135 जोधवल तेलियरगंज इलाहाबाद को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, लखनऊ के पत्रांक 3856/XV, दिनांकित 12-12-2018 द्वारा प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 12-12-2018 को अपना मकान संख्या-60 B/2C/135, जो जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद में स्थित है, के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। जिसमें क्रेता का नाम त्रुटिवश रतन लाल अंकित हो गया था, जबकि क्रेता का वास्तविक नाम रतन कुमार (श्रीवास्तव) है।

माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 12-12-2018 को प्रेषित पत्र में क्रेता का नाम रतन लाल के स्थान पर क्रेता का नाम रतन कुमार (श्रीवास्तव) ही पढ़ा जाय।

अतः प्रार्थी को अपने उक्त मकान के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 19-12-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।
ID N0-6282

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019 के परिप्रेक्ष्य में प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने के पश्चात् माननीय महोदय द्वारा माँगी गयी वाँछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 12-12-2018 को प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी, जो जनपद लखनऊ में स्थित है, के क्रय करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक **2501/IV-3260/Admin(A) दिनांकित 25-02-2019** द्वारा मुझे अपना उपरोक्त प्लॉट को क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात् मेरे द्वारा उपरोक्त प्लॉट दिनांक 07-03-2019 को रूपया 35,40,000/- (रूपया पैंतीस लाख चालीस हजार) में (मय रजिस्ट्रेशन) क्रय किया गया और उक्त प्लॉट क्रय किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रपत्र मय रजिस्ट्री एवं भुगतान किये गये प्रतिफल से सम्बन्धित बैंक विवरण आपकी सेवा में सादर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 07-05-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
लखनऊ।
ID N0-6282

संलग्नक

1- प्लॉट नम्बर सी-6, क्षेत्रफल 189.126 स्क्वायर मीटर स्थित हरिहरपुर/फ्रेन्ड्स कालोनी लखनऊ को क्रय किये जाने से सम्बन्धित रजिस्टर्ड विलेख की छायाप्रति।

2- क्रेता द्वारा अदा किये गये प्रतिफल राशि जो विक्रेता को रूपया 5,00,000/- का चेक नम्बर 294014 एवं आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नम्बर SBINR 52019030700066722 भारतीय स्टेट बैंक, हजरतगंज, लखनऊ के मेरे खाता संख्या-30108579388 से अन्तरित की गयी है, से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

**विषय-अपने निजी आवास संख्या-60 B/2C/135 जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद को विक्रय
किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि प्रार्थी का एक मकान संख्या-60 B/2C/135 जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग दो बिस्वों अर्थात् 272 वर्ग गज है। प्रार्थी ने उपरोक्त मकान उ0प्र0 न्यायिक सेवा में आने के पूर्व सन् 2003 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अधिवक्ता रहने के दौरान क्रय किया था एवं नगर निगम, इलाहाबाद में नियमानुसार अपने नाम दाखिल-खारिज कराने के पश्चात् उसमें रहने हेतु भवन निर्माण कार्य कराया तथा प्रार्थी उत्तर-प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के पूर्व उक्त मकान में ही सपरिवार रहकर माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता था।

प्रार्थी का चयन वर्ष-2006 में उत्तर-प्रदेश न्यायिक सेवा में हो गया, जिसके कारण उपरोक्त मकान बन्द पड़ा हुआ है, जिसके कारण उक्त मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी उक्त मकान को विक्रय करके जनपद लखनऊ में अथवा अन्यत्र फ्लैट/मकान क्रय करना चाहता है, जिसके लिये प्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता है।

प्रार्थी के उपरोक्त मकान को प्रार्थी के बगल में रहने वाले श्री रतन लाल पुत्र श्री लल्लन प्रसाद श्रीवास्तव, मकान नम्बर-60C/1C/136 जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद मुबलिग 57,00,000/- (रूपया सत्तावन लाख) में क्रय करने हेतु सहर्ष तैयार हैं। प्रार्थी अपना उपरोक्त मकान विक्रय करना चाहता है। प्रार्थी की नियुक्ति न तो कभी जनपद इलाहाबाद में रही है और न ही प्रार्थी द्वारा क्रेता श्री रतन लाल का कोई मुकदमा ही निर्णीत किया गया है। श्री रतन लाल, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद से सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं।

.....2/-

-2-

विक्रीत की जाने वाली सम्पत्ति के क्रेता व विक्रेता का सम्पूर्ण विवरण निम्नवत् है-

क्रेता का विवरण

श्री रतन लाल पुत्र
श्री लल्लन प्रसाद श्रीवास्तव,
निवासी मकान नम्बर-60C/1C/136

जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद।

विक्रय किये जाने वाली सम्पत्ति का विवरण

अगस्त कुमार तिवारी पुत्र
श्री साधू शरण तिवारी,
मकान संख्या-60 B/2C/135,
जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद,
क्षेत्रफल लगभग दो बिस्वाँ (272 वर्ग गज) अर्थात्
228 स्क्वायर मीटर तथा जिसका सर्किल रेट
11,550/- प्रति स्क्वायर मीटर की दर से
रूपया 26,33,400/- एवं शेष भवन निर्माण
रूपया 30,66,600/- कुल 57,00,000/- होता है।

अतः प्रार्थी को अपने उक्त मकान के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक- -12-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।
ID N0-6282

संलग्नक

- 1- मकान संख्या-60 B/2C/135,
जोधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद के स्वामित्व
से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- 2- मकान विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र,
- 3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जारी विक्रय सम्पत्ति
के सम्बन्ध में सर्किल रेट की लिस्ट।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय—क्रिमिनल रिवीजन नम्बर 641/2006 (अंकित शुक्ला बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) सत्र परीक्षण नम्बर—876/2006, मुकदमा अपराध संख्या—115/2000, लखनऊ में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या—12584, दिनांकित 22-12-18 में माँगी गयी आख्या के सन्दर्भ में श्रीमान जी द्वारा माँगी गयी आख्या दिनांकित 22-12-2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,
विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, लखनऊ के सम्मानित आदेश के अनुपालन में दिनांक 03-12-2018 को इस न्यायालय में अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टी0सी0—द्वितीय, लखनऊ के न्यायालय से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है। आदेश-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल रिवीजन नम्बर 641/2006 में पारित आदेश दिनांकित 23-11-2006 के द्वारा वर्तमान सत्र परीक्षण की कार्यवाही स्थगित चल रही है, जिसमें अग्रिम तिथि 25-01-2019 नियत है।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित।

आदर सहित।

भवदीय,

दिनांक 04-01-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,
अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय—क्रिमिनल रिवीजन नम्बर—146/2010 (मोहम्मद अजहर खान बनाम स्टेट आफ यूपी0) सत्र परीक्षण नम्बर—01/2009, मुकदमा अपराध संख्या—185/2005, थाना गोमतीनगर, लखनऊ में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या—196, दिनांकित 07-01-2019 में मॉगी गयी आख्या के सन्दर्भ में श्रीमान जी द्वारा मॉगी गयी आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित लिपिक द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त सत्र परीक्षण नम्बर—01/2009, मुकदमा अपराध संख्या—185/2005, थाना गोमतीनगर, लखनऊ की पत्रावली वर्तमान समय में इस न्यायालय में लम्बित होना नहीं पाया गया है।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित।

आदर सहित।

भवदीय,

दिनांक 17-01-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

संलग्नक

सम्बन्धित लिपिक द्वारा प्राप्त आख्या।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय—सत्र परीक्षण सं0—949/2018, मुकदमा अपराध संख्या—92/83, धारा—366,368,376 भारतीय दण्ड संहिता, राज्य प्रति टण्डन कुर्मी, थाना वजीरगंज, लखनऊ के जमानत प्रार्थना संख्या—5634/2018, दिनांकित 09-10-18 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सत्र परीक्षण से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के उपरोक्त सम्मानित आदेश द्वारा इस न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में जब श्रीमान जी के न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की गयी तो ज्ञात हुआ

कि उपरोक्त पत्रावली में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट से आख्या आहूत की गयी तो उनके द्वारा अपनी आख्या में बताया गया उक्त पत्रावली में प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। पत्रावली श्रीमान जी के न्यायालय में उपार्पित कर दी गयी है। श्रीमान जी के न्यायालय में नियुक्त सम्बन्धित सत्र लिपिक से दिनांक 16-05-1991 को सत्र परीक्षण संख्या-948/18 की पत्रावली के बाबत मौखिक रूप से पूछा गया तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि उपरोक्त पत्रावली विचाराधीन है अथवा निस्तारित की जा चुकी है तथा किस न्यायालय में लम्बित है। अभियुक्त जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध है। उपरोक्त पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रपत्रों के आभाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा उक्त बाबत श्रीमान जी को दिनांक 28-11-2018 व दिनांक 30-01-2019 को पत्र प्रेषित किया जा चुके हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त टण्डन कुर्मी जेल में निरुद्ध है। सत्र परीक्षण संख्या-948/18 की पत्रावली में सम्बन्धित प्रपत्रों के अभाव में उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त टण्डन कुर्मी की ओर से ज़रिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसे मा0 त्वरित न्यायालय द्वारा न्याय की अब उम्मीद नहीं है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस न्यायालय में लम्बित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-5634/2018 को वापस लेकर निस्तारित किये जाने हेतु किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-06-02-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-949/2018, मुकदमा अपराध संख्या-92/83, धारा-366, 368, 376 भारतीय दण्ड संहिता, राज्य बनाम टण्डन कुर्मी, थाना वजीरगंज, लखनऊ के जमानत प्रार्थना संख्या-5634/2018, दिनांकित 09-10-18 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सत्र परीक्षण से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के उपरोक्त सम्मानित आदेश द्वारा इस न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में जब श्रीमान जी के न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की गयी तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पत्रावली में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित

विद्वान मजिस्ट्रेट से आख्या आहूत की गयी तो उनके द्वारा अपनी आख्या में बताया गया उक्त पत्रावली में प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। पत्रावली श्रीमान जी के न्यायालय में उपार्पित कर दी गयी है। श्रीमान जी के न्यायालय में नियुक्त सम्बन्धित सत्र लिपिक से दिनांक 16-05-1991 को सत्र परीक्षण संख्या-948/18 की पत्रावली के बाबत मौखिक रूप से पूछा गया तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि उपरोक्त पत्रावली विचाराधीन है अथवा निस्तारित की जा चुकी है तथा किस न्यायालय में लम्बित है। अभियुक्त जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध है। उपरोक्त पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रपत्रों के आभाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा उक्त बाबत श्रीमान जी को दिनांक 28-11-2018 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सम्बन्ध में उचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, जिससे इस न्यायालय में लम्बित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5634/2018 का निस्तारण सुनिश्चित किया सके।।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-30-01-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-949/2018, मुकदमा अपराध संख्या-92/83, धारा-366, 368, 376
भारतीय दण्ड संहिता, राज्य बनाम टण्डन कुर्मी, थाना वजीरगंज, लखनऊ के जमानत प्रार्थना
संख्या-5634/2018, दिनांकित 09-10-18 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सत्र परीक्षण से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के उपरोक्त सम्मानित आदेश द्वारा इस न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में जब श्रीमान जी के न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावली तलब की गयी तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पत्रावली में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट से आख्या आहूत की गयी तो उनके द्वारा अपनी आख्या में बताया गया उक्त पत्रावली में प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। पत्रावली श्रीमान जी के न्यायालय में उपार्पित कर दी गयी है। श्रीमान जी के न्यायालय में नियुक्त सम्बन्धित सत्र लिपिक से दिनांक 16-05-1991 को सत्र परीक्षण

संख्या—.....की पत्रावली के बाबत मौखिक रूप से पूछा गया तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि उपरोक्त पत्रावली विचाराधीन है अथवा निस्तारित की जा चुकी है तथा किस न्यायालय में लम्बित है। अभियुक्त जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध है। उपरोक्त पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रपत्रों के आभाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सम्बन्ध में उचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, जिससे इस न्यायालय में लम्बित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5634/2018 का निस्तारण सुनिश्चित किया सके।।

सादर।

भवदीय,

दिनांक—28—11—2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सी0बी0आई0/(अयोध्या प्रकरण),
लखनऊ।

महोदय,

आपके द्वारा सत्र परीक्षण संख्या—949/2018, मुकदमा अपराध संख्या—92/83, धारा—366,368,376 भारतीय दण्ड संहिता, राज्य बनाम टण्डन कुर्मी, थाना वजीरगंज, लखनऊ जो दिनांक 15—09—2018 को माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को सुपुर्द किया गया है। उपरोक्त पत्रावली से सम्बन्धित अभियुक्त टण्डन कुर्मी जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध है, जिसके जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त पत्रावली जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तलब की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त टण्डन कुर्मी द्वारा यह बताया गया कि उसे कोई नकल प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त

प्रपत्रों के अभाव में अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप स्पष्ट करें कि उपरोक्त पत्रावली सत्र सुपुर्द करने के पूर्व क्या उक्त पत्रावली में समस्त अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध थे अथवा नहीं। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु दिनांक 17-11-2018 नियत है। उक्त तिथि के पूर्व इस न्यायालय को अपनी स्पष्ट आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-15-11-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

विषय-संख्या-777/जे0ए0-3/पैरोल/2018, दिनांक 23 अक्टूबर 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्रांक के सम्बन्ध में मेरे द्वारा इस न्यायालय में कार्यरत सम्बन्धित लिपिक से उक्त बाबत आख्या आहूत की गयी, जिनके द्वारा उक्त मामले से सम्बन्धित अभिलेखागार में मॉग भेजा गया, जिनके द्वारा उक्त मॉग पत्र पर यह आख्या प्रेषित की गयी है कि वॉछित पत्रावली क्रिमिनल अपील नम्बर-344/17 के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय भेजी जा चुकी है।

चूँकि उक्त पत्रावली वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में क्रिमिनल अपील नम्बर-344/17 में तलब की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली मेरे द्वारा निस्तारित न करके मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारित की गयी है, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः बिना पत्रावली का अवलोकन किये पेरोल के सम्बन्ध में कोई अभिमत दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-15-11-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-606/एडमिन.(सर्विसेज)/ इलाहाबाद दिनांकित 26-09-2018 के अनुपालन में मेरे न्यायालय में विचाराधीन सत्र परीक्षण संख्या-1074/2017,

अपराध संख्या-221/2017, धारा-376(2)(1), 506 भारतीय दण्ड संहिता, सरकार बनाम डा0-मोहम्मद अय्यूब, थाना मड़ियॉव, लखनऊ जो भूतपूर्व एम0एल0ए0 से सम्बन्धित है, को विशेष न्यायालय M.Ps/M.L.As इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषांकित पत्रावली भूतपूर्व **M.L.A** से सम्बन्धित है। **M.Ps/M.L.As** से सम्बन्धित पत्रावली के निस्तारण का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय, इलाहाबाद में गठित न्यायालय को प्राप्त है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त पत्रावली को उक्त विशेष न्यायालय, इलाहाबाद में भिजवाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-02-11-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-373/95, अपराध संख्या-810/94, धारा-302, 376 भारतीय दण्ड संहिता, सरकार बनाम बल्लू भण्डारी आदि, थाना गाजीपुर, लखनऊ के अभियोग में पूर्व से केस-जायरी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त सत्र परीक्षण संख्या 373/95, माननीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय, लखनऊ के आदेश दिनांकित 23-11-2017 के द्वारा इस न्यायालय को अपर जिला जज/एफ0टी0सी0, द्वितीय, लखनऊ के न्यायालय से ज़रिये अन्तरण प्राप्त हुआ है। उपरोक्त पत्रावली प्राप्त होने पर ही ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पत्रावली में सी0डी0 उपलब्ध नहीं थी। तत्कालीन अपर जिला जज/एफ0टी0सी0, द्वितीय, लखनऊ द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में स्वयं पत्राचार भी किया गया था, लेकिन उपरोक्त सी0डी0 उपलब्ध न होने के कारण गवाही की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्ल्यू0-1 के रूप में रमेश तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0-2 के रूप में राम रतन सिंह का बयान अंकित किया जा चुका है, लेकिन सी0डी0 की अनुपलब्धता के कारण आगे साक्ष्य की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। **ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सी0डी0 न्यायालय अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय से कहीं विलुप्त हो गयी है।** इस सन्दर्भ में लिपिक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं लिपिक श्री सुनील कुमार को नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। प्रकरण अत्यन्त प्राचीन है तथा उक्त सी0डी0 न मिलने से इससे सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या-373ए/1995, सरकार बनाम ताहिर हुसैन की पत्रावली का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा सी0डी0 की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सी0ओ0 को भी पत्र प्रेषित किया गया है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक सी0डी0 प्राप्त नहीं हुई है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में केस डायरी के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें, जिससे इस अत्यन्त प्राचीनतम प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-29-08-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-373/95, अपराध संख्या-810/94, धारा-302, 376 भारतीय दण्ड संहिता, सरकार बनाम बब्लू भण्डारी आदि, थाना गाजीपुर, लखनऊ के अभियोग में पूर्व से केस-डायरी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण लम्बित है, जो अत्यधिक प्राचीनतम है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति सी0ओ0 कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर सी0ओ0 कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में केस डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में उपलब्ध करवाया जाय, जिससे इस अत्यन्त प्राचीनतम प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

दिनांक-28-08-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

क्षेत्राधिकारी गाजीपुर,
लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-373/95, अपराध संख्या-810/94, धारा-302,376 भारतीय दण्ड संहिता, सरकार बनाम बल्लू भण्डारी आदि, थाना गाजीपुर, लखनऊ के अभियोग में पूर्व से केस-डायरी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण लम्बित है, जो अत्यधिक प्राचीनतम है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति सी0ओ0 कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर सी0ओ0 कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में केस डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में उपलब्ध करवाया जाय, जिससे इस अत्यन्त प्राचीनतम प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

दिनांक-10-10-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद,
जनपद लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-92/2008, अपराध संख्या-50/2003, धारा-363,366 भारतीय दण्ड संहिता, सरकार बनाम राजकुमारी, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के अभियोग में पूर्व से केस-डायरी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि इस न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण लम्बित है, जो अत्यधिक प्राचीनतम है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकरण में अन्य सह-अभियुक्तगण परशुराम व श्रीमती पार्वती, सत्र परीक्षण संख्या-675/2003, अपराध संख्या-50/2003, धारा-363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मलिहाबाद, लखनऊ की पत्रावली दिनांक 13-08-2004 को निर्णीत हो गयी थी। तत्पश्चात् न्यायालय में तैनात तत्कालीन कोर्ट मोहरीर द्वारा केस डायरी की मूल प्रति आदेश-पत्र पर प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर कर सी0ओ0 कार्यालय में दाखिल करा दी गयी थी, जबकि सह-अभियुक्ता राजकुमारी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। केस डायरी की अनुपलब्धता के अभाव में उक्त प्राचीनतम वाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में केस डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में उपलब्ध करवायें, जिससे इस अत्यन्त प्राचीनतम प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 14-09-2018 नियत है।

दिनांक-14-08-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

अति आवश्यक माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

क्षेत्राधिकारी गाजीपुर,
जनपद लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-847/2014, अपराध संख्या-92/2014, धारा-307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-119/117/184/202 एम0वी0 एक्ट, सरकार बनाम विजेन्द्र पाल सिंह, थाना गाजीपुर, लखनऊ की सम्पूर्ण केस डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि तत्कालीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13-02-2017 द्वारा इस न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली के विलुप्त हो जाने

के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच संख्या-08/2017 विचाराधीन है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस-डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति सी0ओ0 कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर सी0ओ0 कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में केस-डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त प्रकरण पुर्नगठित कर मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20-09-2018 नियत है।

दिनांक-13-09-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

अति आवश्यक माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

थानाध्यक्ष गाजीपुर,
जनपद लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-847/2014, अपराध संख्या-93/2014, धारा-307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-119/117/184/202 एम0वी0 एक्ट, सरकार बनाम विजेन्द्र पाल सिंह, थाना गाजीपुर, लखनऊ की सम्पूर्ण केस डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि तत्कालीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13-02-2017 द्वारा इस न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली के विलुप्त हो जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच संख्या-08/2017 विचाराधीन है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस-डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त

उसकी एक प्रति थाना कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर थाना कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से मय केस-डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में दिनांक 08-10-2018 को प्रातः 10:30 बजे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त प्रकरण पुर्नगठित कर मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

दिनांक-04-10-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

अति आवश्यक माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

निरीक्षक,
श्री विजय नारायण तिवारी,
सतर्कता अधिष्ठान,
जनपद लखनऊ।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-847/2014, अपराध संख्या-93/2014, धारा-307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-119/117/184/202 एम0वी0 एक्ट, सरकार बनाम विजेन्द्र पाल सिंह, थाना गाजीपुर, लखनऊ की सम्पूर्ण केस डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि तत्कालीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13-02-2017 द्वारा इस न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली के विलुप्त हो जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच संख्या-08/2017 विचाराधीन है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस-डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति थाना कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर थाना कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

सम्बन्धित थाना गाजीपुर के एस0एच0ओ0 इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित रूप से यह अवगत कराया है कि उक्त विवेचना से सम्बन्धित केस डायरी की कारबन प्रति आपके द्वारा थाने में जमा नहीं किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रूचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से मय केस-डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में दिनांक 22-10-2018 को प्रातः 10:30 बजे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त प्रकरण पुर्नगठित कर मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

दिनांक-12-10-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

अति आवश्यक माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित।

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

निरीक्षक,
बृज मोहन सिंह,
जनपद रायबरेली।

विषय-सत्र परीक्षण संख्या-847/2014, अपराध संख्या-93/2014, धारा-307, 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-119/117/184/202 एम0वी0 एक्ट, सरकार बनाम विजेन्द्र पाल सिंह, थाना गाजीपुर, लखनऊ की सम्पूर्ण केस डायरी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि तत्कालीन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13-02-2017 द्वारा इस न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली के विलुप्त हो जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच संख्या-08/2017 विचाराधीन है, जिसमें केस-डायरी उपलब्ध नहीं है। पुलिस रेग्युलेशन के मुताबिक केस-डायरी की मूल प्रति न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति थाना कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर थाना कार्यालय से उपलब्ध करवायी जाती है।

सम्बन्धित थाना गाजीपुर के एस0एच0ओ0 इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित रूप से यह अवगत कराया है कि उक्त विवेचना से सम्बन्धित केस डायरी की कारबन प्रति आपके द्वारा थाने में जमा नहीं किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त मामले में विशेष रुचि लेते हुए उपरोक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से मय केस-डायरी की एक प्रति इस न्यायालय में दिनांक 02-11-2018 को प्रातः 10:30 बजे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त प्रकरण पुर्नगठित कर मामले का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

दिनांक-27-10-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-प्रथम, लखनऊ।

गोपनीय

प्रेषक,
अगस्त कुमार तिवारी,

अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय—अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
(फौजदारी/दीवानी/पैनल लायर) से सम्बन्धित आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 228/जे.ए-2/शा0अधि0/2018, दिनांकित 05-10-2018 के अनुक्रम में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं दीवानी के रिक्त पदों के सापेक्ष में पैनल उपलब्ध कराये जाने हेतु महोदय द्वारा वॉछित गोपनीय आख्या के अनुपालन में अवगत कराना है कि अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी में श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी में श्रीमती सीमा गुप्ता, श्रीमती सोनिया सिंह, श्री दुष्यन्त कुमार, श्री राम समुझ रावत, श्रीमती मनोरमा बाजपेयी, श्री नवीन त्रिपाठी, श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री सलिल कुमार, श्री राजेश सिंह घूरा, श्री अजेन्द्र सिंह घूरा, श्रीमती फरीदा जलाल, महेन्द्र कुमार जाटव, सीमा सिंह, कुँवर रंजीत एवं पैनल लायर फौजदारी रीना गुप्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी में श्री नैमिष कुमार सिंह, श्री विवेक मौर्य, श्री नरेन्द्र कुमार दीक्षित, संजय कुमार बाजपेयी, अशोक कुमार यादव, प्रतिभा राय यह फौजदारी/दीवानी वादों में सुनवाई के समय उपस्थित हुए हैं एवं नामिका अधिवक्ता (फौजदारी) सुश्री रीना गुप्ता मेरे न्यायालय में उपस्थित हुई हैं, इन्हें विधिक ज्ञान है और इनका कार्य-व्यवहार एवं आचरण भी अच्छा है।

आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

आदर सहित।

भवदीय,

दिनांक-27-10-2018

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,

अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,
श्रीमान प्रभारी अधिकारी (नजारत),
जनपद न्यायालय,
लखनऊ।

विषय—विश्राम कक्ष संख्या—609 में लगी एक ट्यूबलाइट व एक स्विच/साकेट ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
विनम्र निवेदन है कि मेरे उपरोक्त विश्राम कक्ष संख्या—609 में लगी एक ट्यूबलाइट जल नहीं रही है तथा एक स्विच बोर्ड में लगा एक स्विच/साकेट कार्य नहीं कर रहा है। ट्यूबलाइट न जलने के कारण मेरे विश्राम कक्ष में सांय काफी अन्धेरा व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण न्यायिक कार्य संपादित करने में अत्यन्त असुविधा हो रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विश्राम कक्ष में लगी ट्यूबलाइट व स्विच बोर्ड पर लगा स्विच/साकेट को ठीक करवाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 09-01-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

प्रेषक,
अगस्त कुमार तिवारी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।

सेवा में,
श्रीमान प्रभारी अधिकारी (नजारत),
जनपद न्यायालय,
लखनऊ।

विषय—न्यायालय कक्ष संख्या—602 एवं विश्राम कक्ष संख्या—609 हेतु एक—एक लैम्प उपलब्ध_ कराये
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
विनम्र निवेदन है कि मेरे उपरोक्त न्यायालय कक्ष संख्या—602 व विश्राम कक्ष संख्या—609 हेतु
एक—एक लैम्प की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे उपरोक्त न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष हेतु एक—एक लैम्प उपलब्ध
कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 09-01-2019

(अगस्त कुमार तिवारी)
अपर जनपद न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0—प्रथम, लखनऊ।